| | कार्यवाही विवरण | अनुपालना के क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|
| 8/7/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि मौके पर कब्जा T.I. कन्फर्म की जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/7/24 को पेश हो। Kaushal 8/7/24 | |
| 29-7-24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व बहस सुनी जा चुकी है। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.06.23 को प्रथम दृष्टया कब्जा मानते हुए अंतरिम एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी की गई है, उक्त आदेश के बाद पत्रावली पर कोई जवाब/खण्डन पेश नहीं हुआ है। अतः आदेश दिनांक 01.6.23 को कन्फर्म किया जाना न्यायोचित है।<br>अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 01.06.23 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा मूलवाद के निस्तारण तक खसरा नं. 1515, 1516, 1401, 1550, 1391, 1779/1397 ग्राम देवीपुरा के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अनावेदक संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है। नियमित आज दिनांक 29/07/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कौशल कुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Kaushal 29/07/24 | |

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट / फास्ट-ट्रेक, नवलगढ़